डि इण्डियास, कोलम्बिया में दिनांक 8 से 25 फरवरी, 1992 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य राज्य मंत्री ने किया था।

इस सम्मेलन में विकास के लिए नई भागीदारी की मांग करते हुए एक राजनीतिक घोषणा पारित की गई। सम्मेलन में कार्यसूची मदों के संबंध में नीतियां निर्धारित करते हुए, "स्वस्थ, सुरक्षित और न्यायसंगत विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बहुराष्ट्रीय सहयोग तथा राष्ट्रीय सहयोग तथा राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय कार्यवाही को सुदृढ़ करने" पर एक दस्तावेज भी अंगीकार किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में इस सम्मेलन ने यह मांग की कि सभी के, खासकर विकासशील देशों के लाभ के लिए विश्व व्यापार को और अधिक उदार बनाने और इसके विस्तार के लिए संरक्षणवाद को समाप्त करने तथा उसे उलटने की कार्रवाई की जाए और निरंतर विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यावरण और व्यापार नीतियां परस्पर समर्थनकारी हो। इसमें यह भी मांग की गई कि बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरूग्वे दौर के त्वरित, संतुलित, व्यापक और सफल परिणाम के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति को सुदृढ़ किया जाए। प्रौद्योगिकी के बारे में सम्मेलन ने यह बात स्वीकार की कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता एक मूल कारक है, इसलिए यह सिफारिश की गई कि ऐसी नीतियों और उपायों पर जोर दिया जाए जिससे विकासशील देशों में नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था हो सके। विकास प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए, सम्मेलन ने विकसित देशों से मांग की कि वे विकासशील देशों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग को सुलभ बनाने के उपायों पर विचार करें। ऋण के मुद्दे पर, सम्मेलन ने कम आय, परन्तु अधिक ऋण बोझ वाले उन देशों के कार्यों की प्रशंसा की जो काफी बड़ी कीमत पर ऋण को चुकाना तथा अपनी ऋणयोग्यता की रक्षा करना जारी रखे हुए हैं। सम्मेलन ने मांग की कि ऐसे देशों को संसाधन आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सम्मेलन ने विचार व्यक्त किया कि विकासशील देशों में संरचनात्मक सामंजस्य की, प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से सहायता देने एवं उसके वित्त पोषण की आवश्यकता है। सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों के लिए सहायता की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त रूप से अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उसने विकसित देशों का आह्वान किया कि उन्होंने अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7 प्रतिशत ओ०डी०ए० को देने के संबंध में जिस अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने का समझौता किया था उसे कार्यान्वित किया जाए। सेवाओं के मुद्दे पर, सम्मेलन में यह सहमति हुई कि विकासशील देशों के निर्यात हित की आपूर्ति के तरीकों और क्षेत्रों में बाजार प्रवेश के उत्तरोत्तर बहुपक्षीय उदारीकरण का समर्थन करने के लिए सभी सरकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें सेवाओं की आपूर्ति के लिए श्रम का अस्थायी आदान-प्रदान भी शामिल है। वस्तुओं के क्षेत्र में सम्मेलन में अंकटाड के महासचिव से अनुरोध किया कि वस्तुओं के प्रश्न पर विश्व सम्मेलन आयोजित करने की संभावनाओं पर बातचीत की जाए जिससे एक संगत अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु नीति बनाने के उद्देश्य से उत्पादकों, विपणन, उद्यमों और अन्य बाजार कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलाकर विचार-विमर्श कर सकेंगे और उक्त नीति में चुनिंदा वस्तु क्षेत्र की खास समस्याओं को ध्यान में रखा जा सकेगा।

सम्मेलन ने स्वीकार किया कि सभी विकास स्तरों पर व्यापक आधार वाले विकास और ठोस आर्थिक निष्पादन कायम रखने के लिए अच्छा प्रबंध एक आवश्यक तत्व हैं।

इस सम्मेलन में लिए गए नीतिगत निर्णय सिफारिशी प्रवृत्ति के हैं और उनका अनुपालन इस उद्देश्य के लिए बनाई गई समितियों द्वारा किया जाएगा। हमारे और अन्य विकासशील देशों के दृष्टिकोण से परिणाम सकारात्मक ही हैं।

सम्मेलन में पुन्ता डेल एस्टे घोषणा पत्र के सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों को दोहराते हुए सभी भागीदारों, विशेष रूप से प्रमुख व्यापार साझीदारों से यह आग्रह किया गया कि वे विकासशील देशों के खास-खास हितों को ध्यान में रखते हुए उरूग्वे दौर के तात्कालिक, सन्तुलित, विस्तृत तथा सफल निष्कर्ष निकलने के लिए ठोस उपाय करें।

कतिपय चाय बागानों द्वारा करों की चोरी

3360. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चौबुआ टी एस्टेट, डिब्रूगढ़, गंगावरी टी एस्टेट, घोला तिनसुकिया, दुर्गापुर टी एस्टेट, बरबोरुआ, शिवपुरिया टी एस्टेट, पानितुला टी एस्टेट, तिनसुकिया, लिटटू टी एस्टेट, तिनसुकिया अपने उत्पादन को कम करके दिखाते हैं और उत्पाद शुल्क तथा आयकर का कम भुगतान करते हैं;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय से परामर्श करके केन्द्रीय जांच ब्यूरो के किसी अधिकारी को उनके उत्पादन की जांच करने के लिए कहा जायेगा;

(ग) क्या यह जांच उनके बही खातों पर छापा मारकर कराई जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Encouragement of Exports by States

3361. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are encouraging exports from all States to overcome its balance of payments problems;

(b) if so, what is the annual value of exports from each State during the Sixth and Seventh Five Year Plan periods, State-wise;

(c) whether Government have received any proposal for establishment of an Export Processing Zone in Karanataka aimed at facilitating exports;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) whether Government would clear this proposal at the earliest?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Yes, Sir.

(b) State-wise export data are not compiled.

(c) to (e) A proposal for setting up export processing zones in Bangalore and Mangalore has been received. The Government does not intend to set up any new free trade zone till the facilities created at the six existing export processing zones and the proposed zone at Vishakhatnam are fully utilised, and a carefull study of the existing zones is carried out.

आर्थिक विकास के लिए सरकार की पहल

3362. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए कोई पहल कर रही है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के समान एशिया में एक सांझा बाजार की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (ग) भारत सरकार और साथ ही साथ उसी प्रकार के दृष्टिकोण वाले अनेक गुटनिरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों ने 1989 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुए 9 वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर दक्षिण-दक्षिण परामर्श एवं सहयोग संबंधी शीर्ष स्तरीय समूह (जिसे जी-15) कहा जाता है स्थापित करने के लिए पहल की थी। जी-15 के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए ठोस योजनाएं तैयार करना तथा उन्हें अपनाना और ऐसी योजनाओं के पक्ष में विकासशील देशों का समर्थन प्राप्त करना शामिल है। पहली दो शिखर बैठकों से जी-15 देशों के बीच सहयोग के लिए संस्थागत आधार बनाने में मदद मिली। विशेष परियोजनाओं का पता लगाया गया और उनके कार्यान्वयन के समन्वय का उत्तरदायित्व देशों को सौंपा गया। भारत इन परियोजनाओं में से दो के लिए, अर्थात जेने बैंक फार मैडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स एवं हर्ब्स तथा सोलर एनर्जी एप्लीकेसन्स, के लिए उत्तरदायी है।

भारत त्रिपक्षीय करार, बैंकाक करार, गाट संलेख और व्यापार अधिमानों को विश्वव्यापी प्रणाली (जी०एस०टी०पी०) का हस्ताक्षरकर्त्ता है। ये चारों ही विकासशील देशों के बीच अधिमानी व्यापार प्रबन्ध है। दक्षिण एशियाई देशों के बीच अधिमानी व्यापार प्रबन्ध के लिए भी एक प्रस्ताव है जिस पर सार्क देश विचार कर रहें हैं।

भारत-श्रीलंका व्यापार समझौता

3363. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए हाल ही में एक नये समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की शर्तें क्या-क्या